भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2368

03 अगस्त, 2021 के लिए प्रश्न

पंजाब में खाद्यान्नों की खरीद

2368. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंजाब में खाद्यान्न की खरीद में धोखाधड़ी करने वाले लोगों को पकड़ने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से संपर्क किया है और क्या सीबीआई ने ऐसे कई व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में पंजाब राज्य सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों की संलिप्तता पाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) सरकार ने स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) : जी हां।

(ख) : भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने दिनांक 17.02.2021 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से अनुरोध किया है कि सीबीआई द्वारा की गई संयुक्त औचक जांच (जेएससी) सहित खाद्यान्नों की खरीद में पाई गई अनियमितताओं के बारे में जांच की जाए। इस संबंध में, सीबीआई ने अज्ञात लोक सेवक (सेवकों) और निजी व्यक्ति (व्यक्तियों) के विरूद्ध दिनांक 18.02.2021 को प्राथमिक जांच दर्ज की है।

(ग) : इस संबंध में सीबीआई से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) : उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ड.): सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित पहल/उपाय किए जाते हैं:-

i) देशभर में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को क्रियान्वित किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) से जिम्मेदारी, पारदर्शिता, वास्तविक समय की निगरानी की जाती है जो प्रणाली में उठाईगिरी को कम करती है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) झूठे किसानों को हटा देता है और भुगतान के विपथन और डुप्लीकेशन को कम करता है क्योंकि किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर भुगतान किया जाता है, जिसे कई राज्यों में किसानों की आधार संख्या के साथ जोड़ा गया है। रबी विपणन मौसम (आरएमएस) 2021-22 से खाद्यान्नों की खरीद के लिए पंजाब में किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) शुरू किया गया है।

.....2/-

ii) भारतीय खाद्य निगम और अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी ऑनलाइन खरीद प्रणाली विकसित की है जिसमें वास्तविक खरीद के उचित पंजीकरण और मानीटरिंग के माध्यम से पारदर्शिता और किसानों के लिए सुविधाजनक होता है। ऑनलाइन खरीद प्रणाली ने व्यापक रूप से बिचौलियों से खरीद को समाप्त कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का बेहतर लक्ष्य प्राप्त हुआ है।

iii) पैम्फ्लेट्स, बैनरों, साईन बोर्डों, रेडियो, टीवी और प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए विज्ञापनों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रचालनों का व्यापक प्रचार किया जाता है।

iv) किसानों को गुणवत्ता विनिर्दिष्टियों और खरीद प्रणाली आदि के बारे में जानकारी दी जाती है, ताकि किसान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप अपना उत्पाद सुगमतापूर्वक ला सकें।

v) संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों/ भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और अन्य संभार तंत्र/ बुनियादी ढांचे जैसे कि भंडारण और ढुलाई की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखकर खरीद केंद्र खोले जाते हैं। किसानों की सुविधा के लिए मौजूदा मंडियों और डिपुओं/ गोदामों के अलावा प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में अस्थायी खरीद केंद्र भी खोले जाते हैं।

संबंधित राज्य सरकार की एजेंसियों/भारतीय खाद्य निगम द्वारा उत्पादन, बाजार योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा और अन्य संभार तंत्र/बुनियादी सुविधाएं जैसे भंडारण और परिवहन आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खरीद केंद्र खोले जाते हैं । मौजूदा मंडियों औरि डिपुओं/गोदामों के अलावा अधिकांश अस्थायी खरीद केंद्रों को भी किसानों की सुविधा के लिए मुख्य बिन्दुओं में स्थापित किया जाता है।

इसके अलावा, पंजाब राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य पुलिस विभाग के समन्वय से राज्य सरकार ने केएमएस 2020-21 के दौरान अन्य राज्यों से पंजाब सरकार को रिसाइकल्ड धान/चावल पर कड़ाई से चौकसी करने तथा गैर-कानूनी प्रवेश करने पर सभी राज्यों में रोक लगाने के लिए पुलिस टीमों को नियुक्त किया था। तदनुसार, कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध 90 एफआईआर दर्ज की गई थीं, अन्य राज्यों से धान की ढुलाई करने वाले 160 ट्रकों और ट्रालियों को जब्त कर लिया गया था, पूरे राज्य में 17 आढ़तियों के लाइसेंस तथा 3 चावल मिल-मालिकों के लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया था।

****